<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय</u>

<u>नैनीताल</u>

<u>2018 की आदेश से अपील सं. 109</u>

कुलदीप कुमार खंडेलवाल ..... वादी/अपीलार्थी

बनाम

रघुनन्दन लाल बहल एवं अन्य ..... प्रतिवादीगण /उत्तरदाता

श्री आदित्य सिंह, अधिवक्ता, वादी/अपीलार्थी की ओर से।

श्री निखिल सिंघल, अधिवक्ता, प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं की ओर से।

<u>माननीय नारायण सिंह धनिक, जे. (मौखिक)</u>

O.S. नं. 139/2013 में प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (S.D.) हरिद्वार द्वारा पारित दिनांक 9.3.2018 के आदेश के विरुद्ध वादी/अपीलार्थी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

संक्षेप में तथ्य यह है कि, वादी/अपीलार्थी ने दिनांक 16-8-2010 को बिक्री के समझौते को रद्द करने के लिए ओ.एस. नंबर 139/2013 के तहत एक मुकदमा दायर किया, जिसमें न्यायलय शुल्क के भुगतान के संबंध में निचली अदालत ने मुद्दा नंबर 2 तैयार किया। आक्षेपित आदेश के तहत निचली अदालत ने उक्त मुद्दे संख्या 2 का फैसला किया है और यह माना है कि चूंकि वादी ने एक लिखत/दस्तावेज को अकृत और शून्य घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया है, इसलिए, वादी न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (संक्षिप्तता के लिए, इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 (iv-ए) के संदर्भ में न्यायलय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और तदनुसार वादी को न्यायलय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया। पीड़ित होने के कारण, वादी ने वर्तमान अपील दायर की है।

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

सुविधा के लिए, अधिनियम की धारा 7 (iv-ए) को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "**अमान्य लिखतों और फरमानों को रद्द करने या निर्णय लेने के लिए।-**
> (iv -ए) बाजार मूल्य वाली राशि या अन्य संपत्ति के लिए एक फरमान को रद्द करने या शून्य घोषित करने या शून्यकरणीय ठहरने से जुड़े एक

मुक़दमे में, या ऐसे मूल्य वाली राशि या अन्य संपत्ति को सुरक्षित करने वाली एक लिखत:

(1) जहां वादी या उसका पूर्ववर्ती विषय-वस्तु के मूल्य के अनुसार फरमान या लिखत का पक्षकार था; और

(2) जहां वह या उसका पूर्ववर्ती विषय-वस्तु के मूल्य के पांचवें हिस्से के अनुसार, फरमान या लिखत का पक्षकार नहीं था, और ऐसा मूल्य माना जाएगा यदि संपूर्ण फरमान या लिखत मुकदमे में शामिल है, वह राशि जिसके लिए या संपत्ति का मूल्य जिसके संबंध में फरमान पारित किया गया था या लिखत निष्पादित की गयी थी, और यदि फरमान या लिखत का केवल एक हिस्सा मुक़दमे में शामिल है, तो राशि या मूल्य संपत्ति जिससे ऐसा हिस्सा संबंधित है।

व्याख्या—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए संपत्ति का मूल्य, बाजार-मूल्य होगा, जो अचल संपत्ति के मामले में उप-धारा (v), (v-ए) या (v-बी), जैसा भी मामला हो। "

वादी/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी ने बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए नहीं, बल्कि बिक्री के समझौते को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया है, और वह किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं मांग रहा है और इसलिए, अधिनियम की धारा 7 (iv-ए) के संदर्भ में वादी मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इस धारा के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं। अतः निचली अदालत ने उपरोक्त मुद्दे पर गलत निर्णय लिया है। अपने तर्क के समर्थन में, वादी/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बर्मन (उनके एलआर के माध्यम से) और अन्य,* एआईआर 1971 एससी 87, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 5 और 6 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"5. धन या अन्य सम्पति पर अधिकार की घोषणा के लिए एक फरमान, धन या अन्य सम्पति के लिए एक फरमान नहीं है। हमारे निर्णय में "धन या अन्य सम्पति के लिए फरमान " अभिव्यक्ति का अर्थ मात्र धन या अन्य सम्पति की वसूली के लिए एक फरमान है। इसमें धन या अन्य सम्पति के स्वामित्व से संबंधित फरमान शामिल नहीं है।

6. यह आग्रह किया गया था कि किसी भी घटना में वादी ने धन या बाजार मूल्य वाली अन्य सम्पति को सुरक्षित करने वाली "लिखत" को शून्य या अमान्य घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया था। लेकिन अनिच्छुक्ता में फरमान धन या अन्य संपत्ति को सुरक्षित करने वाली लिखत नहीं है; इस तरह की लिखत एक मुकदमे के पक्ष द्वारा दावा किए गए अधिकार से संबंधित न्यायालय के औपचारिक अधिनिर्णय का एक अभिलेख है। यह अपने बल से धन या सम्पति की सुरक्षा नहीं करता है। कुछ मामलों में एक सहमति फरमान को धन या अन्य संपत्ति को सुरक्षित करने वाली एक लिखत माना जा सकता है, जहां फरमान एक ऐसे अनुबंध पर आगे बढ़ती है जिसका प्रभाव था, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि एक सहमति फरमान पार्टियों के बीच अनुबंध का एक अभिलेख है, जिस पर न्यायलय की मुहर लगाई जाती है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि मुक़दमे पर भुगतान की गई न्यायालय शुल्क उचित थी। यह इंगित किया जा सकता है कि वादी ने कुछ संपत्तियों के संबंध में एक घोषणा के अलावा और कोई दावा नहीं किया था।"

वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह निर्णय (उपर्युक्त) तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिया गया है और *शैलेंद्र भारद्वाज और अन्य बनाम चंद्र पाल और अन्य*, (2013) 1 एससीसी 579 मामले में विवाद का निर्णय करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है, जिस पर प्रतिवादियों / उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया जा रहा है।

वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की अनुसूची II की धारा 17 के अनुसार वर्तमान मामले में न्यायालय शुल्क देय है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने *श्रीमती शेफाली रॉय बनाम हीरो जसवंत दास और अन्य*, एआईआर 1992 इलाहाबाद 254 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 7 (iv-ए) में "सिक्योरिंग" शब्द मात्र धन के भाग से संबंधित नहीं है बल्कि अन्य संपत्ति से भी संबंधित है और चूंकि मुकदमा इस घोषणा के लिए था कि वादी वाद संपत्ति का स्वामी है और कथित बिक्री विलेख अकृत और शून्य है, खंड (iv-ए) लागू नहीं होता है और अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 के तहत न्यायालय शुल्क देय है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में आगे निम्नानुसार आयोजित किया है:

> "22. न्यायलय शुल्क का भुगतान याचिका की आवश्यकताओं और मांगी गई राहत पर निर्भर करता है, न कि लिखित बयान की आवश्यकताओं पर। मात्र घोषणा के लिए एक मुकदमा, कि वादी संपत्ति का मालिक है, जैसा कि वर्तमान मामले में वादी द्वारा दावा किया गया है और संयोग से एक घोषणा का दावा है कि कथित बिक्री विलेख को अकृत और शून्य घोषित किया गया है, धारा 7 (iv-ए) (यू.पी राज्य संशोधन) के दायरे में नहीं आता है।"

प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, भले ही वादी ने बिक्री के समझौते को रद्द करने और उसे अकृत और शून्य घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया है, उसे अधिनियम की धारा 7 (iv-ए) के अनुसार न्यायलय शुल्क का भुगतान करना होगा। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने 8.12.2017 को इस न्यायालय द्वारा 2017 के ए.ओ. संख्या 642, *अनिल कुमार घोष और अन्य बनाम स्वामी शाश्वतानंद और अन्य* में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

> "चूँकि लिखत/बिक्री विलेख में संपत्ति के मूल्य का उल्लेख किया गया है, और लिखत/बिक्री विलेख को घोषणा का फरमान माँग कर चुनौती दी गई है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी को 2,84,44,295/- की राशि पर मुक़दमे का मूल्यांकन करने का निर्देश देकर अवैधता की है। विचारण न्यायालय के लिए उचित तरीका यह था कि वह वादी को निर्देश दे कि वह मुकदमे का मूल्यांकन लिखत यानी विक्रय विलेख दिनांकित 28.02.2012 में उल्लिखित राशि पर करे। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश अस्थिर है और अपील स्वीकार करने योग्य है।"

प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(14) में दी गई "लिखत" की परिभाषा की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, बिक्री का समझौता भी 'लिखत' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (14) निम्नानुसार है:

"लिखत" में इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस या मीडिया में या के द्वारा अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड शामिल हैं, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व है, या बनाया, स्थानांतरित, सीमित, विस्तारित, समाप्त या रिकॉर्ड किया जाना है।"

प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने *शैलेंद्र भारद्वाज और अन्य*, (2013) 1 SCC 579 में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी प्रतिपादन किया। इस निर्णय के पैरा 8 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"..... यह स्पष्ट है कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की अनुसूची II का अनुच्छेद 17 (iii) उन मामलों में लागू होता है जहां वादी बिना किसी परिणामी राहत के एक घोषणात्मक फरमान प्राप्त करना चाहता है और दावा किए गए राहत से संबंधित शुल्क के भुगतान के लिए अधिनियम के तहत अन्य कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय शुल्क अधिनियम की अनुसूची II का अनुच्छेद 17 (iii) यह स्पष्ट करता है कि यह लेख उन मामलों में लागू होता है जहां वादी परिणामी राहत के बिना एक घोषणात्मक फरमान प्राप्त करना चाहता है और दावा किए गए राहत से संबंधित शुल्क के भुगतान के लिए अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रावधान नहीं है। यदि न्यायालय शुल्क के भुगतान के प्रश्न पर किसी वसीयत या बिक्री विलेख को रद्द करने या न्यायनिर्णय/शून्य या अमान्य घोषित करने वाले मुकदमे के मामले में न्यायालय शुल्क अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रावधान नहीं है, तो अनुसूची II का अनुच्छेद 17 (iii) लागू होगा। लेकिन अगर ऐसी राहत न्यायालय शुल्क अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत आती है, तो अनुसूची II का अनुच्छेद 17 (iii) लागू नहीं होगा। न्यायालय शुल्क अधिनियम और उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम के बीच तुलना पर यह स्पष्ट है कि धारा 7 (iv -ए) U.P. संशोधन अधिनियम में धन या धन को सुरक्षित करने वाली लिखत या ऐसी मूल्य वाली अन्य सम्पति के लिए रद्द करने या निर्णय लेने/अमान्य फरमान घोषित करने वाले मुकदमे शामिल हैं।"

प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने *कैलाश चंद बनाम पांचवीं एसीजे, मेरठ और अन्य*, एआईआर 1999 इलाहाबाद 151, में दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने *श्रीमती बिशुन श्री बनाम श्रीमती सूरज मुकी* (एआईआर 1966 सभी 563) के मामले में

उस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया जहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और न्यायलय शुल्क अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने के बाद न्यायालय का बहुमत दृष्टिकोण यह था कि धारा 7 (iv-ए) में "लिखत" शब्द में लिखित रूप में औपचारिक या कानूनी दस्तावेज शामिल हैं। न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 6 पर भरोसा किया जो निम्नानुसार हैः

> “....."प्रतिभूति" जैसा कि एक अनुबंध में उपयोग किया जाता है, जिसके तहत एक विक्रेता जैसे ही विक्रेता खरीद के पैसे का भुगतान प्राप्त करता है, उसके हस्तांतरण को निष्पादित करने के लिए सहमत होता है, इसका अर्थ धन में भुगतान नहीं है, बल्कि विक्रेता द्वारा किसी ऐसी चीज़ का भुगतान करना है जिसके माध्यम से भविष्य में किसी समय भुगतान प्राप्त या मजबूर किया जा सकता है।“

विनोद सिंघई बनाम कन्हैयालाल के मामले में 10-11-2011 को दिए गए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले पर प्रतिवादियों / उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे भरोसा किया, जहां यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

> "वर्तमान वाद केवल घोषणा के लिए नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता-वादी वास्तव में दिनांक 19-02-2011 के सकारात्मक समझौते के प्रदर्शन की मांग कर रहा है। इसलिए विचारण न्यायलय ने याचिकाकर्ता-वादी को मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क लगाने का निर्देश देना उचित ठहराया। सुभाष चंद जैन बनाम अध्यक्ष, एम.पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एआईआर 2001 एमपी 88 मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार, जब अभियोग और राहत को कम आंकने का प्रयास किया जाता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं।"

प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इसी तरह के एक मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने सिविल संशोधन संख्या 1/2016 में दिनांक 8-4-2016 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति का मूल्य, जिसके लिए लिखत निष्पादित थी, को मुकदमे के मूल्यांकन और न्यायलय शुल्क के भुगतान के लिए विचार किया जाएगा। उक्त आदेश निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "श्री नरेंद्र बाली, अधिवक्ता, संशोधनवादी की ओर से।
>
> श्री निखिल सिंघल, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, यह पता चलता है कि बिक्री के समझौते को रद्द करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। प्रारंभ में वाद का मूल्यांकन विषय-वस्तु के मूल्यांकन के आधार पर उचित रूप से किया गया था, लेकिन बाद में वादी द्वारा इस आशय का एक संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वाद का मूल्यांकन नगरपालिका के वार्षिक मूल्यांकन पर किया जाना चाहिए।

वादी का यह तर्क स्पष्ट रूप से विधि के खिलाफ है, जैसा कि न्यायलय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (ए) और (iv-ए) में लिखा गया है, जो निरस्तीकरण के लिए न्यायालय शुल्क के भुगतान पर विचार करता है और शून्य लिखतों और फरमानों का न्याय करता है। यह प्रावधान बताता है कि जहां लिखत उस मुकदमे में शामिल है जिसके लिए निरस्तीकरण की मांग की गई है, तो संपत्ति का मूल्य, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया था, मुकदमे के मूल्यांकन और न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

ऊपर जो बताया गया है उसे देखते हुए, मुझे इस संशोधन में कोई बल नहीं मिलता है।

इसे खारिज कर दिया जाता है।"

प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त आदेश दिनांकित 8-4-2016 को चुनौती नहीं दी गई थी और यह अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।

जहां तक वादी/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में वादी पहले से ही संपत्ति के कब्जे में है और वह कब्जे की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि केवल बिक्री के समझौते को रद्द करने और निर्णय पर निर्भरता की राहत की मांग कर रहा है अथवा रामकृष्ण बर्मन मामले (उपरोक्त) का संबंध है, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान मामले में उक्त मिसाल लागू नहीं होती है। उक्त मामला धन के स्वामित्व की घोषणा के लिए फरमान के संबंध में था, जबकि वर्तमान मामला बिक्री के समझौते को रद्द करने के लिए है, और इसलिए, उक्त मिसाल वर्तमान मामले में लागू नहीं है। *कैलाश चंद बनाम पांचवीं ए.सी.जे., मेरठ और अन्य* (ऊपर संदर्भित) में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 17 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"इस प्रकार तथ्यों पर यूपी राज्य बनाम राम कृष्ण बर्मन (एआईआर 1971 एससी 87) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें न्यायालय ने माना है कि धन या अन्य संपत्ति के शीर्षक की घोषणा करने वाला एक फरमान केवल वाद के पक्षकारों द्वारा दावा किए गए अधिकार से संबंधित औपचारिक अधिनिर्णय का एक अभिलेख है और बाजार मूल्य वाले धन या अन्य संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए लिखत नहीं है और यह इस तरह के निष्कर्ष पर था कि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv-ए) (यूपी राज्य के लिए लागू) आकर्षित नहीं हुई थी और न्यायालय शुल्क द्वितीय अनुसूची, अनुच्छेद 17 (iii) के तहत देय था।"

इस विवाद का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही *शैलेंद्र भारद्वाज और अन्य बनाम चंद्र पाल और अन्य* (ऊपर उल्लिखित) मामले में किया जा चुका है। अतः स्थापित विधिक स्थिति और वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि चूंकि वादी ने बिक्री के समझौते को रद्द करने के लिए फरमान की मांग करते हुए वर्तमान मुकदमा दायर किया है, इसलिए, इस तरह के मुकदमे का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 7 (iv-ए) के अनुसार लिखत में उल्लिखित मूल्य के अनुसार किया जाएगा और यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि अधिनियम की धारा 7 (iv-ए) के अंतर्गत की गई राहत वाद के संपूर्ण मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क को आकर्षित करती है, और अधिनियम की अनुसूची II का अनुच्छेद 17 ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जो केवल ऐसे मुकदमों पर लागू होते हैं जो अन्यथा न्यायालय शुल्क अधिनियम में प्रदान नहीं किए गए हैं।

पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। मुझे वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है। एतद्द्वारा इसे खारिज किया जाता है। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त किया जाता है।

(नारायण सिंह धनिक, जे.)
09.1.2019

प्रबोध